संख्या-211/2022/214रासनि/23-1-23/67आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 16 फरवरी, 2023

विषय:वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत जनपद महराजगंज के 12 कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-158/(54-VIII)/समग्र वृत्त/2022-23, दिनांक 23.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में शासनादेश संख्या-83/2023/1476रासनि/23-1-22/001-67आरएसएन/2022, दिनांक 13.01.2023 द्वारा स्वीकृत जनपद महराजगंज के 12 कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-12 पर अंकित कार्य "वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महराजगंज के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर रेंज के राजस्व ग्राम कांधपुर दर्रा (वनटांगिया ग्राम) को पी0डब्लू0डी0 मार्ग से जोड़ने हेतु इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महराजगंज में विधान सभा क्षेत्र-फरेन्दा, ब्लाक-बृजमनगंज के अन्तर्गत (वनटांगिया ग्राम) खुर्रमपुर को जोड़ने हेतु इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य" संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-83/2023/1476रासनि/23-1-22/001-67आरएसएन/2022, दिनांक 13.01.2023 में अंकित तालिका के क्रमांक-12 पर अंकित "वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महराजगंज के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर रेंज के राजस्व ग्राम कांधपुर दर्रा (वनटांगिया ग्राम) को पी0डब्लू0डी0 मार्ग से जोड़ने हेतु इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य" **के स्थान पर** "वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महराजगंज में विधान सभा क्षेत्र-फरेन्दा, ब्लाक-बृजमनगंज के अन्तर्गत (वनटांगिया ग्राम) खुर्रमपुर को जोड़ने हेतु इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य" पढ़ा व समझा जाय। मार्ग की लम्बाई व लागत में कोई संशोधन नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- विषयगत शासनादेश संख्या-83/2023/1476रासनि/23-1-22/001-67आरएसएन/2022, दिनांक 13.01.2023 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-211/2023/214रासनि(1)/23-1-23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।